

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2018—आषाढ़ 15, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2018

क्र. बी-8-10-2018-चौदह-2.—उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को अधिसूचित किया जाता है:—

“उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, सागर (मध्यप्रदेश)”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2018

पु. क्र. बी-8-10-2018-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 6th July 2018

No. B-8-10-2018-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by clause 29 of the Fertilizer (Control) Order, 1985, the State Government here by notified the following Fertiliser quality control laboratories for the purpose of the said clause:—

“Fertiliser quality control laboratory, Sagar (Madhya Pradesh)”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UPENDRA NATH SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2018

क्र. बी-8-10-2018-चौदह-2.—उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को अधिसूचित किया जाता है:—

“उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, उज्जैन (मध्यप्रदेश)”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2018

पृ. क्र. बी-8-10-2018-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 6th July 2018

No. B-8-10-2018-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by clause 29 of the Fertilizer (Control) Order, 1985, the State Government here by notified the following Fertiliser quality control laboratories for the purpose of the said clause:—

“Fertiliser quality control laboratory, Ujjain (Madhya Pradesh)”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UPENDRA NATH SHARMA, Dy. Secy.